

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग

रिक्ति परिपत्र

कमरा सं. 253-ए, बी विंग
सेना भवन, नई दिल्ली
दिनांक, 07 अक्टूबर, 2024

विषय: रक्षा मंत्रालय में निदेशक, रक्षा प्रदर्शनी संगठन के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन रक्षा प्रदर्शनी संगठन विभाग में निदेशक के एक (01) एक्स-कैंडर पद को तत्काल प्रतिनियुक्त आधार पर अनुबंध-1 में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करने वाले अधिकारियों द्वारा भरने का प्रस्ताव है ।

2. पद के लिए पात्रता शर्तों, कार्य अपेक्षाओं, योग्यता आदि का इस परिपत्र के अनुबंध-1 में उल्लेख किया गया है । चयनित अधिकारी का वेतन उपयुक्त सरकारी आदेशों के अनुसार और भारत सरकार के निर्णयानुसार समय-समय पर विनियमित किया जाएगा ।

3. पद के लिए इच्छुक अधिकारियों को बाद में उनका नाम वापस लेने की अनुमति नहीं मिलेगी । केवल ऐसी संस्तुतियां, जिनमें अनुबंध - II के अनुसार अपेक्षित व्यक्तिगत विवरण और निम्न दस्तावेज संलग्न हो:

- क. पिछले पांच वर्षों की अद्यतन एसीआर डोजियर अथवा एपीएआर की स्पष्ट छायाप्रति, जिसका प्रत्येक पृष्ठ समूह 'क' अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो;
- ख. संवर्ग निकासी;
- ग. सतर्कता निकासी;
- घ. विगत दस वर्षों के दौरान कोई बड़ी/छोटी शास्ति, यदि अधिकारी पर लगाई गई हो, का ब्यौरा देने वाला विवरण;
- ङ. सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र
- च. यह प्रमाणपत्र कि चयन होने की स्थिति में, चयनित अधिकारी को मूल संगठन द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्य मुक्त कर दिया जाएगा ।

4. अपेक्षित दस्तावेज के साथ विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन की केवल हार्ड कॉपी स्वीकार की जाएगी। ई-मेल आदि अन्य साधनों के माध्यम से प्रेषित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पात्र अधिकारी, जो पद के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हो और जो तत्काल कम से कम पांच वर्षों की समयावधि दे सकें, अपने आवेदन की दो प्रतियां 22 नवंबर, 2024 तक अनुबंध में निर्धारित प्रोफार्मा में (उचित माध्यम से) अधोहस्ताक्षरी को भिजवा दें।

5. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले या निर्धारित प्रारूप में नहीं होने पर अथवा अपेक्षित दस्तावेजों के बिना आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

बी.के. हेम्वर

(बी.के. हेम्वर)

उप सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन न. 011-23019465

प्रति

- (i) संयुक्त सचिव (थलसेना/डीएमए)/संयुक्त सचिव (नौसेना/डीएमए)/संयुक्त सचिव (वायु सेना/डीएमए)
- (ii) संयुक्त सचिव (स्थापना) : अन्य सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में
- (iii) डीडीजी (जी), डीओओ (सीएंडएस)
- (iv) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के मुख्य प्रबंध निदेशक
- (v) डीआरडीओ (निदेशक/कार्मिक), डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली
- (vi) डीजीक्यूए/डीजीएक्यूए
- (vii) डी (आईटी): रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट और ई-ऑफिस पर अपलोड करने के लिए
- (viii) सीईओ, डीपीआईटी, रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट पर परिपत्र को अपलोड करने के लिए

प्रतिलिपि इन्हें भी :

- (i) रक्षा प्रदर्शनी संगठन
- (ii) उपसचिव (स्थापना), रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली
- (iii) अवर सचिव (सीएस-1 प्रभाग), डीओपीएंडटी, द्वितीय तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली
- (iv) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- (v) एनआईसी, डीओपीएंडटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
- (vi) गार्ड फाइल

- क. पद : निदेशक, रक्षा प्रदर्शनी संगठन, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय
- ख. वेतनमान :
- ग. भर्ती का प्रकार : प्रतिनियुक्त पर स्थानांतरण के द्वारा
- घ. पात्रता : (i) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, केन्द्रीय सेवाओं (प्रथम श्रेणी) और केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं, जो भारत सरकार में उप सचिव का पद धारण करने की पात्रता रखते हैं ।
(ii) सशस्त्र सेना मुख्यालय की सिविल सेवा से संबंधित श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक हों ।
(iii) ले. कर्नल (थल सेना) या कर्नल (थल सेना) अथवा अन्य दो रक्षा सेनाओं जैसे वायुसेना या नौसेना के समकक्ष रैंक के अधिकारी ।
(iv) सदृश पद धारण किए हुए केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के अधिकारी ।
- ङ. कार्य की प्रकृति : अधिकारी रक्षा प्रदर्शनी संगठन, नई दिल्ली का प्रमुख होगा, वह भारत या विदेश में सहभागिता जिसमें रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय भाग लेने का निर्णय करेगा, भागीदारी के आयोजन के लिए उत्तरदायी होगा । उसे रक्षा भंडारों के निर्यात के संवर्धन के लिए ऐसी सहयोगात्मक कार्रवाई करने की भी आवश्यकता होगी, जो कि समय-समय पर की जानी अपेक्षित है ।
- च. अर्हताएं : (i) अनिवार्य:
क. अधिकारी रक्षा संगठन और सशस्त्र सेना में उपस्कर के उपयोग की अच्छी जानकारी के साथ कला, वाणिज्य, विज्ञान अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक होना चाहिए ।
ख. अधिकारी की न्यूनतम 5 वर्ष की सेवाएं बाकी होनी चाहिए ।

(ii) वांछनीय :

क. व्यवसाय प्रबंधन में परास्नातक डिग्री या इसके समकक्ष ।

ख. अच्छा व्यक्तित्व और प्रदर्शनियों के प्रस्तुतीकरण में विविध पहलों और रचनात्मक विचारों के साथ उच्चतम संगठनात्मक क्षमता ।

ग. सरकार के भीतर या बाहर विभिन्न संगठनों के साथ प्रभावी रूप से सामंजस्य की क्षमता के साथ बेहतरीन जन-संपर्क कौशल ।

घ. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के आयोजन/सहभागिता का अनुभव

ङ. एक विज्ञापन एजेंसी/प्रदर्शनी संगठन के वाणिज्यिक प्रदर्शन संगठन में कार्यानुभव ।

च. प्रतिनियुक्त की अवधि

: पांच वर्ष की अवधि के लिए । अधिकारी के स्थायीकरण पर विचार किया जा सकता है ।

रक्षा मंत्रालय में निदेशक, डीईओ के पद पर के लिए स्पांसर किए जाने वाले व्यक्ति का

बायो-डाटा

1. नाम :
2. (क) जन्म तिथि :
(ख) आयु वर्षों में :
(ग) सेवानिवृत्ति की तिथि :
3. पदनाम :
4. सशस्त्र बलों के कार्मिक के मामले में :
सेवानिवृत्ति की तिथि/रिजर्व में स्थानांतरण :
5. कार्यालय जहां कार्यरत हैं :
6. वेतनमान और वर्तमान वेतन :
7. (क) संबंधित सेवा :
(ख) मूल नियुक्ति, यदि कोई हो :
8. योग्यता :
9. सेवा विवरण (वर्तमान पद से प्रारंभ) :

अवधि		धारित पद (अब तक)	वेतनमान	कार्यालय	पद का वर्गीकरण
से	तक				

10. अनुबंध- I में दर्शायी गई कार्य अपेक्षाओं के संदर्भ में गत 5 वर्षों के दौरान अनुभव का विवरण (गत पांच वर्षों के दौरान किए गए कार्य की प्रकृति दर्शाए):

11. पिछले एक्स-कैडर पद से वापसी की तिथि, यदि कोई हो :
12. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं :

दिनांक :

(आवेदक का हस्ताक्षर)

पता:

दूरभाष/मोबाइल सं.:

ईमेल:

प्रमाण-पत्र

(नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत अर्थात संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण/आवेदक का विभाग)/कार्यालय/मंत्रालय/विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ने *अखिल भारतीय सेवा/* केन्द्रीय सेवा (प्रथम श्रेणी)/*केन्द्रीय सचिवालय सेवा/*संयुक्त निदेशक अथवा उप-निदेशक 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित/* अन्य दो रक्षा सेवाओं अर्थात वायुसेना और नौसेना के लेफ्टिनेन्ट कर्नल अथवा कर्नल अथवा समतुल्य श्रेणी/* केन्द्र सरकार/* सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के अधिकारी ने नियमित आधार पर समरूप पद धारण किया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कॉलम 10 में आवेदक द्वारा दिया गया अनुभव विवरण सही है और अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुशासनिक/सतर्कता मामला न तो लंबित है और न ही विचारणीय है।

(अग्रेषण प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय:

मोहर :

(* जो लागू नहीं है उसे काट दें)